## दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) बुधवार, 25 मई,2005/ज्येष्ट 4, 1927(शक)

संख्या : १०

सदस्यों की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस, संसद मार्ग, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

> "मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करनां है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, डॉ. जगदीश मुखी, डॉ. हर्षवर्द्धन, श्री रमेश विधुड़ी और श्री साहब सिंह चौहान को, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत दिनाँक 23.5.2005 को 16.30 बजे 11 अशोका रोड़, नई दिल्ली, से नजरबंद किया गया।

उन्हें, उसी जगह से उसी दिन 16.40 बजे रिहा कर दिया गया"।

सिद्धार्थ राव सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

**BULLETIN PART-II** 

(General information relating to legislative and other matters) Wednesday 25<sup>th</sup> May, 2005/4 Jaishtha 1927 (Saka)

No.98

## Sub: <u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS</u>

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Asstt. Commissioner of Police, Parliament Street, New Delhi. "I have the honour to inform you that Dr. Jagdish Mukhi, Dr. Harshvardhan, Shri Ramesh Bidhuri and Shri Sahib Singh Chauhan Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from 11 Ashoka Road, New Delhi at 1630 Hrs. on 23.5.2005.

They were released at 1640 Hrs. from the same place and same date."

SIDDHARATH RAO SECRETARY